



क्रमांक: जविप्रा/अति.मु.न.नि./मा.प्लान/2025/डी-

दिनांक:-

अधिसूचना

जयपुर, जून2025

जयपुर विकास प्राधिकरण की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 05.09.2011 के क्रम में जविप्रा अधिनियम, 1982 की धारा 23 के अन्तर्गत अनुमोदित जयपुर मास्टर विकास योजना-2025 की समयावधि दिनांक 05.09.2025 को पूर्ण हो रही है, को एतद्वारा 2 वर्ष (दिनांक 05.09.2027) अथवा नया मास्टर विकास योजना के अधिसूचित होने तक, जो भी पहले हो, के लिए बढ़ायी जाती है।

यह मास्टर विकास योजना 2025 प्राधिकरण द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 05.09.2011 के द्वारा अधिसूचित "जयपुर रीजन" के संपूर्ण क्षेत्र के लिए लागू रहेगा।

(निशान्त जैन)

सचिव

जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अध्यक्ष, जविप्रा, राजस्थान, जयपुर।
3. महापौर, जयपुर नगर निगम, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, नगर निगम (ग्रेटर/हैरिटेज), जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
9. जिला प्रमुख, जिला परिषद, जयपुर।
10. जिला कलेक्टर, जिला कलेक्ट्रेट, जयपुर।
11. संयुक्त शासन सचिव-तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
13. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
14. मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
15. मुख्य अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर।
16. मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन, जविप्रा, जयपुर।
17. निदेशक (अभियांत्रिकी/आयोजना/वित्त/विधि/परियोजना), जविप्रा, जयपुर।
18. अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/भूमि/एल.पी.सी.), जविप्रा, जयपुर।
19. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मा.प्लान/बीपीसी), जविप्रा, जयपुर।
20. वरिष्ठ नगर नियोजक (मा.प्लान/एल.पी./प्रोजेक्ट), जविप्रा, जयपुर।
21. उपायुक्त जोन-1 से 14 एवं पी.आर.एन (उत्तर-I, II/दक्षिण-I, II), जविप्रा, जयपुर।
22. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि अगले असाधारण अंक में प्रकाशित की जावे।
23. लेखाधिकारी भुगतान, जविप्रा, जयपुर को भेजकर कर लेख है कि अधिसूचना राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित की जानी है, इस हेतु नियमानुसार 1 पृष्ठ के लिए रुपये 3721/- का डी.डी. इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावे, जिससे उक्त अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की जा सके।
24. उप निदेशक (जनसंपर्क), जविप्रा, जयपुर।



-
25. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
26. नोटिस बोर्ड।